



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127973

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19503/2026

अरविंद कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भव्य सहाय

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मामला अपराण्ध संख्या 592/2025, बीएनएस की धारा 103(1), 61(2), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत, थाना- लोनी, जिला- गाजियाबाद में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक का नाम दिनांक 26.12.2025 की एफआईआर में नहीं है। आवेदक को इस मामले में सूचनादाता से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 27.12.2025 को आरोपी बनाया गया था। एकमात्र चश्मदीद गवाह संजय वर्मा ने आवेदक का नाम नहीं लिया। आगे यह तर्क दिया जाता है कि संदेह और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आवेदक का नाम सामने आया है, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में उसे मृतक की हत्या करते हुए नहीं देखा गया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक के कब्जे से कथित तौर पर 315 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की गई थी, लेकिन मृतक के शरीर पर 315 बोर की गोली का कोई निशान नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट/चिकित्सा साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी गवाही

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से मेल नहीं खाते हैं। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज से आवेदक का कथित अपराध से कोई संबंध नहीं जुड़ा है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि कथित चश्मदीद गवाह संजय वर्मा ने बताया कि आवेदक ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, इसलिए आवेदक की पहचान का प्रश्न ही नहीं उठता। आवेदक के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण जमानत याचिका के पैरा 43 में दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक 1 जनवरी 2026 से जेल में बंद है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के अपराध में संलिप्त होने के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध किया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक **अरविंद कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदार का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

एपी पांडे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।